न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाडा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – डॉ दिनेश राय सापेला, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 34/2023
रजिस्ट्रेशन नं. :2023/48

		अभियुक्त :–
राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	श्री रोशनलाल कलाल पुत्र श्री दिलीप कुमार कलाल निवासी अरथुना, गढी, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स रोशन किराणा स्टोर, अरथुना, गढी, बांसवाडा जिला बांसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 18–07–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 15–06–2023 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 02–11–2022 को 01.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **मैसर्स फेरुमल वख्तमल सिंधी कोलोनी, रतलाम रोड, बांसवाडा जिला बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री कन्हैयालाल सिंधी पुत्र श्री फेरुमल सिंधी** उपस्थित थे। **विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स रोशन किराणा स्टोर, अरथुना, गढी, बांसवाडा जिला बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर **काजु (खुला) 1 टीन में 10 किलोग्राम** दुकान में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **काजु (खुला) 02 किलोग्राम** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 2880/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। नमूना जॉच हेतु खरीदशुदा **काजु (खुला) 02 किलोग्राम** को साफ सुखे बर्तन में डालकर [illegible] साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक की बोतलो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एयर टाईट ढक्कन बंद कर 4 नमूना भाग तैयार किये। प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1235** लिखा व नमूने का विवरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:09 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये तैयार लेबल प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाया गया। प्रत्येक नमूने को नियमानुसार सील बन्द किया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/408 दिनांक 22–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 934 दिनांक 16–11–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **काजु (खुला)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1235** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **काजु (खुला)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 19–06–2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 18.07.2023 को अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि नरमी का रुख अपनाते हुए न्यूनतम जुर्माना करे।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/408 दिनांक 22–11–2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 934 दिनांक 16–11–2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया काजु (खुला) का नमुना कोड क्रमांक **W-1235** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा [illegible] अपराध स्वीकार किया है। ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्णयन अधिकारी
(जिला कलक्टर)

Scanned with OKEN Scanner

स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड **काजु (खुला)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री रोशनलाल कलाल पुत्र श्री दिलीप कुमार कलाल निवासी अरथुना, गढी, बांसवाडा (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स रोशन किराणा स्टोर, अरथुना, गढी, बांसवाडा जिला बांसवाडा रूपये 1,00,000/– (अक्षरे रू एक लाख मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2023.08.07 12:40:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner